

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा मुकाम भादरा
 बलराज आदि बनाम रा0 कन्या उ0 प्रा0 वि0 मलखेडा जरिये प्रधानाध्यापक आदि
 फॉर्म मुकदमा 251 ए आरटीएक्ट नं० 36/22 सन 2022

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	जजद्वारा जारी हुका अहकाम की हुका की तारीख जारी हुका
06-07-22	आज यह प्रकरण प्रार्थी की ओर से पेश किया गया। रिपोर्ट सिंगेदार होने के बाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 08.08.2022 को पेश हो	
8/8/22	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी... दिनांक 08/08/22 को पेश हो।	पेश किया
16/8/22	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी... दिनांक 16/8/22 को पेश हो।	पेश किया
24/8/22	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी... दिनांक 24/8/22 को पेश हो।	पेश किया
9/9/22	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी... दिनांक 09/09/22 को पेश हो।	पेश किया
	वकील वारी/प्रतिकारी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली मस आदेशानुसार वास्ते... दिनांक 23/09/22 को पेश हो।	पेश किया
27/10/22	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी... दिनांक 24/10/22 को पेश हो।	पेश किया
24/11/22	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी... दिनांक 16/12/22 को पेश हो।	पेश किया
16/12/22	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी... दिनांक 07/12/22 को पेश हो।	पेश किया

7/2/23 पत्रवाली पेश हुई पीठासीन
अधिकारी-~~...~~ को पेश हो

14/08/23 पत्रवाली पेश हुई का
कार्य सम्पन्न है।
पत्रवाली पेश हुई 26/4/23 को पेश हो

26/4/23 पत्रवाली पेश हुई पीठासीन
अधिकारी-~~...~~ को पेश हो।

15/6/23 पत्रवाली पेश हुई वसील शर्मा अपील पूर्व में पत्रवाली में
अपार्षी सं 2 की ओर से जवाब पेश किया गया
है, रघमीलदार माया से रिपोर्ट प्राप्त की गई
वसील शर्मा को इनका दिया उम्हवार शुभि में स्वीकृत
शुदा रामा के निम्ने इन्का उच्च प्राथमिक विद्यालय मूलवेडा
तथा अन्य कारखानों के लिए रामा के माय-माय चोडाईकरण
अपना चाहे है। इसके उम्ह विचारित शुभि सं 18 AMS में
सुंन 32 के तिला नं 3, 8, 12 में स्वीकृत शुदा रामा के
विषये ही उम्ह में दसिण 2-2 विस्वा तथा तिला 19-20
में उम्हरी तर्फ 2-2 विस्वा रामा स्वीकृत डिपे जाने
का निवेदन है।

द्वारे द्वारा पत्रवाली में प्रस्तुत दस्तावेजात पर रिपोर्ट
रघमीलदार का अलाव इन दिया गया अपार्षी सं 2
द्वारा अपने जवाब में शर्मा सं 2 का RIAV का
रवठन प्रस्तुत करे हुए इनका दिया डि तिला नं 3, 8, 12 में
पूर्व में ही रामा स्वीकृत है, इसके अलावा विद्यालय की
आवृत्त शुभि में पार-दीवारी के अन्तर में रामा की
भांज की जा रही है, राम प्रभार रामा स्वीकृत डिपे जाना
रामा डिपे में नहीं है तथा रघमीलदार माया की रिपोर्ट
दिनांक 01-6-2023 इमांक 44 न में भी स्वीकृत रामा
वसामा गया है तथा प्रस्तुत रामा की आवृत्त
नहीं होना वसामा गया है इसके अलावा शर्मा का
द्वारा रामा का चोडाईकरण चाहा गया है लेकिन

मुद्राविक रिपोर्ट जो अक्षर की लीला वक्तों का
है वना हुआ है। इस प्रकार पूर्व में वातु रास निम्न
है अथ ही भी प्रकाश अभाव नहीं है।

अहः अक्षर विवेकानुसार व पत्रावली - हे
अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजस्थान राज्य की
अधिनियम की धारा 231-अ में वर्णित प्रावधानों (१)
प्रावधान रास देवता मुद्रावली नहीं है (६)
वैदिक भाषा का अभाव है अनुसार अक्षर प्रा
पत्र में पूर्व में रास वातु है अथ ही भी प्रकाश
का अभाव नहीं है अहः प्रावधान पत्र प्रावधान
लिख अक्षर में अक्षर है।

अहः प्रावधान पत्र प्रावधान अक्षर धारा 231-अ
की धारा प्रावधान नहीं है अक्षर रवारी ज
लिख जाय है निर्णय लिखा जाय से विवक्षित
मुद्रावली प्रावधान वक्तों से उम की
जाय धारिक प्रावधान है।

४

उपखण्डाधिकारी (राजस्थान)
मादस (जिला-हनुमानगढ़)